



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार-249404

पत्रांक:: 138/06/E-3/APS/DR/2022-23

दिनांक:: 07 दिसम्बर, 2024

निस्तारण आदेश

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या A-1/E-3/DR(APS)/2024, दिनांक 18 जुलाई, 2024 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव परीक्षा-2024 के सापेक्ष अभ्यर्थी श्री प्रमोद कुमार, प्रीति कापड़ी, जुही त्यागी, रजनी द्विवेदी, पंकज कुमार सैनी, नेहा, श्री अनिकेत शर्मा, मीनाक्षी कमल, श्री रंजन भट्ट, एवं श्री सिकन्दर कुमार व अन्य द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध पर मा0 आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-03 के अनुसार निस्तारित कर दिया गया है :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	कार्यालय टीप
01.	श्री प्रमोद कुमार (अनुक्रमांक-101248)	आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरांत आप द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध को स्वीकार करते हुए आपकी अपर निजी सचिव परीक्षा-2024 के प्रथम चरण की परीक्षा के अन्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की परीक्षा तिथि को परिवर्तित कर परीक्षा कार्यक्रमानुसार दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को चतुर्थ सत्र (अपराह्न 03:00 बजे) में नियत करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
02.	प्रीति कापड़ी (अनुक्रमांक-100131)	
03.	जुही त्यागी (अनुक्रमांक-102154)	
04.	रजनी द्विवेदी (अनुक्रमांक-102438)	
05.	श्री पंकज कुमार सैनी (अनुक्रमांक-103980)	
06.	नेहा (अनुक्रमांक-101935)	
07.	अनिकेत शर्मा (अनुक्रमांक-100032)	
08.	मीनाक्षी कमल (अनुक्रमांक-100397)	
09.	रंजन भट्ट (अनुक्रमांक 104028)	
10.	सिकन्दर कुमार एवं अन्य (अभिभावक)	आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरांत आप द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध पर निम्नवत् विचार किया गया :- 1. मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के उपरान्त दिनांक 26 अक्टूबर, 2024 को अभ्यर्थियों के सूचनार्थ अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्रथम चरण की संशोधित परीक्षा योजना विज्ञप्ति सं० 112(1) दिनांक 26 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया।

	<p>2. प्रश्नगत पद की परीक्षा विज्ञापन की शर्तानुसार मुख्यतः दो चरणों में आयोजित किया जाना निर्धारित है। जिसमें मा0 आयोग द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 को लिए गये निर्णय के अनुसार प्रथम चरण (टंकण परीक्षा) की परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की है अतः प्रथम चरण की परीक्षा में अंक प्रदान नहीं किये जाएंगे। प्रथम चरण की परीक्षा में अर्ह/सफल अभ्यर्थी ही द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।</p> <p>3. इसके अतिरिक्त टंकण परीक्षा पूर्णतः सॉफ्टवेयर पर आधारित परीक्षा है, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा किये गये टंकण गति का स्पष्ट उल्लेख होता है। अतः परीक्षा परिणाम से पूर्व एवं गोपनीयता के दृष्टिगत हार्ड कॉपी अभ्यर्थी को प्रदान नहीं किया जाता है। तदक्रम में प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।</p>
--	---

उक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।